खनन इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए हमें चिंतित होने की

# जरुरत क्यों है ?

HAQ Centre for Child Rights

# बच्चों और खनन में संबंध कहाँ है?

हमारे देश में इस समय जो 89 खनिज निकाले जाते हैं उनमें से चार खनिज तो ईंधन है, 11 धात्विक और 22 गौण खनिज हैं। देश के सभी जिलों में से तकरीबन आधे जिलों में ईंधन, धात्विक और गैर धात्विक औद्योगिक खनिज के लिए ही खनन हो रहा है।हमारे देश में आजादी के बाद, खनन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया क्योंकि भारत खनिज सम्पदा में सम्पन्न देश है और इससे उच्च राजस्व मिलता है। राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर आर्थिक सम्पन्नता के लिए हमारे देश में सापेक्ष रूप में खनन को ही विकास का माध्यम माना गया।

2005 में होसपेट और बेल्लारी की खदानों में एक फैक्ट फाइंडिंग विजिट की गई और बच्चे और खदान पर देशव्यापी अध्ययन किया गया, हक – बाल अधिकार का केंद्र और समता, एमएमपी (माइंस, मिनरल्स एंड पीपल) और महिलाओं का सन्दर्भ केंद्र धात्री ने खनन से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करती एक रिपोर्ट निकाली "गड्ढे में भारत का बचपन"। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खनन इलाकों में रहने वाले बच्चे कुपोषण, साँस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें पीने के लिए साफ पानी और स्वस्थ और सुरक्षित माहौल नहीं मिलता।

खनन हमेशा से ही मानवीय जरूरतों और मानवीय तृष्णा का प्रतीक रहा है। लालच हमेशा से ही जरुरत पर हावी रहा है। देशभर में हमने तमाम आदिवासी आन्दोलन देखे हैं – उड़ीसा में वेदांता के खिलाफ नियमगिरि पहाड़ और पोस्को के खिलाफ लोगों का आन्दोलन, तमिलनाडु के सलेम में सेल के खिलाफ और भी ऐसे कई आन्दोलन उनके उदाहरण हैं। इन संघर्षो से यह देखा जा सकता है कि कभी भी आर्थिक सम्पन्नता स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है।

इन खनन इलाकों में और उसके आस–पास हमने बहुत से बच्चों को बढ़ते पाया। ये बच्चे खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके प्रति हमें चिंतित होना चाहिए और उन्हें खनन –क्षेत्रों के बच्चों के रूप में विशेष सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

इन इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है, यौन शोषण और तस्करी के संकट भी बहुत हैं। चूँकि इन इलाकों में आदिवासी बसे हुए हैं और यह खनिज संसाधन में भी समृद्ध इलाके हैं, इसलिए खनन से बुरी तरह प्रभावित होने वाले बच्चे भी आदिवासी ही हैं। उन्हें बुरी तरह से भूमिहीन, विस्थापित और वन संसाधनों से वंचित किया गया है, इससे उनका पोषण बुरी तरह प्रभावित होता है।

त्रासदी यह है कि "खनन क्षेत्रों के बच्चे" किसी के बच्चे नहीं हैं। उस खान के मंत्रालय या विभाग इन बच्चों की ओर देखते भी नहीं और विडम्बना यह कि सामाजिक कल्याण, श्रम, महिला और बाल विभाग, शिक्षा, आदिवासी कल्याण जैसे विभाग या मंत्रालय के कार्यक्षेत्र/रडार में ये खनन इलाके आते ही नहीं हैं। इसलिए हमेशा इन इलाकों के बच्चे इन दरारों के बीच फंसे रह जाते हैं।

इसी तरह का अन्तराल मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों के बीच भी मौजूद है। जो भूमि अधिकार और खनन के मुद्दों पर तो काम करते हैं पर शायद ही कभी इस ओर भी देखते हैं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। मीडिया भी कभी इस मुद्दे से जुड़ने के प्रयास नहीं करती। यह भी आश्चर्यजनक नहीं है कि वे खनन कम्पनियों से साझेदारी कर रहे हैं जैसे एनडीटीव्ही और वेदांता की विवादास्पद साझेदारी, जिन्होंने बच्चों के मुद्दे के महत्व और उस पर फोकस करने की जरुरत को जकड़ लिया है और अपनी छवि बनाये रखने के लिए काम कर रहे हैं।

"भारत का बचपन गड्ढे में" रिपोर्ट के विमोचन के बाद, खनन इलाकों में महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को पता लगाने के लिए खानों के सचिव द्वारा एक अंतर–मंत्रालयी समिति बनाई गई। इस समिति का गठन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि जो मामले सामने आ रहें हैं उनकी गहराई में जाकर पड़ताल करने के लिए संबंधित विविध मंत्रालयों से बातचीत और समन्वय स्थापित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस समिति के सचिव बदल जाने के साथ ही इस शुरूआती पहल को ठंडे बसते में डाल दिया गया।

# cPpk ij [kuu l gku oky çR;{k vkj vçR;{k çHkko

1 vLoLFkrk vkj chekjh e of) % खनन इलाके में रहने वाले बच्चे बढ़ती हुई अस्वस्थता का सामना करते हैं। खनन इलाकों में रहने और खान में काम करने की वजह से इन बच्चों को बीमारियों का खतरा बना हुआ रहता है।

2 [kk| vlj{kk vkj dik"k.k e of) % जब देश के अधिकांश राज्यों में तकरीबन 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, खनन इलाकों में रहने वाले बच्चे कुपोषण, भूख और खाद्य असुरक्षा की चपेट में सबसे ज्यादा हैं।

3 'kk"k.k vkj nos;ogkj dk c<rk lidV % विस्थापित, बेघर या रहने के लिए अपर्याप्त आवासीय व्यवस्थाएं, स्कूल छोड़ने को मजबूर करना, माफिया द्वारा गैर क़ानूनी गतिविधियों के लिए नियुक्त करने और तस्करी, शोषण और दुर्व्यवहार का खतरा होता है।

4 f'k{kk dk vfèkdkj dk mYy?ku % सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य से भारत खनन प्रभावित इलाकों में काफी पीछे चल रहा है। खनन से पैदा होने वाले हालातों के चलते खनन इलाकों में रहने वाले बच्चे स्कूल पहुँचने में असमर्थ हैं या जबरन उनसे स्कूल छुड़ाया जा रहा है।

5 cky Je e c<kÙkjh % खनन क्षेत्रों में सबसे खतरनाक गतिविधियों में बड़ी संख्या में बच्चे काम करते हैं।

6 vkfnoklh vkj nfyr cPpk dk dk gkf'k;kdj.k % बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाएं मुख्यतः आदिवासी इलाकों में ही होता है और खनन परियोजनाओं से विस्थापन, जमीन से अलगाव और माइग्रेशन की वजह से आदिवासी बच्चे पांचवीं अनुसूची में दिए गए उनके संवैधानिक अधिकार तेजी से खो रहे हैं। आदिवासी बच्चों की तरह, खनन इलाकों के दलित बच्चे भी विस्थापित हो रहे हैं, स्कूल छोड़ने और खानों में काम करने को मजबूर हो रहे हैं।

7 çoklh@ekbxzV cPp dgh Hkh cPp ugh g % खनन क्षेत्र प्रवासी आबादी पर ज्यादा निर्भर है जहाँ बच्चों के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, जहाँ खानों में बच्चे भी काम करते पाए जाते हैं या दूसरे तरह के श्रम करते मिलते हैं।

8 [kuu bykdk e jgu oky cPp vUrjkyèxi dh otg l fxjr g % वह मंत्रालय जो उन बच्चों के हालातों और उनके अधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार है, वह खान मंत्रालय बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। खनन की वजह से बच्चों के जीवन में जो गड़बड़ियाँ आईं उनका पता बाल कल्याण, शिक्षा, आदिवासी कल्याण, श्रम, पर्यावरण और अन्य विभागों द्वारा लगाया गया। विविध विभागों और एजेंसियों के बिना एक दूसरे के साथ आये खनन इलाकों में रहने बच्चे इस अंतराल/गेप में गिरते रहते हैं। सभी कानून और नीतियों संबंधी प्रक्रियायें खनन इलाके के बच्चों के किसी विशेष अधिकार और उनके हकों को एड्रेस नहीं करते।

Picture Credit: Anisha Ghosh

# चुनौतियाँ :

1. भारत में बच्चों के लिए बहुत सारे कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट बताती हैं कि खनन इलाकों के बच्चे इनमें से किसी का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे बहुत कम कानून हैं जो किसी विशेष खनन इलाके के बच्चों को कोई संरक्षण या राहत देते हैं या उन बच्चों की खास परिस्थितियों को जो खनन में काम करने या इन इलाकों में रहने से पैदा हुई, को एड्रेस करें।
2. उम्र के हिसाब से बच्चे की परिभाषा को लेकर बहुत भ्रम है और बच्चों के अधिकार पर काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय वयस्क अधिनियम 1875 में सामान्यतया व्यस्क की आयु 18 साल मानी गई। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 और बाद में किये किये गए 2006 के संशोधन इस सिद्धांत को मानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे हैं। खान अधिनियम 1952 भी उन्हें ही व्यस्क मानता है जिनकी आयु 18 साल पूरी हो चुकी हो।
   फिर भी, ऐसे बहुत सारे कानून भारत में पारित हुए हैं जिनमें 14 साल की आयु तक को बच्चे की परिभाषा में रखा गया है। उदाहरण के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में बच्चे की परिभाषा में बताया गया है कि जिसने 15 साल की उम्र पूरी नहीं की वे सभी बच्चे हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ, इसमें 6–14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
3. खनन की वजह से बच्चों की जिन्दगी में जो गड़बड़ियाँ आईं उन्हें दूसरे विभागों जैसे बाल कल्याण, शिक्षा, श्रम और अन्य विभागों के लिए एड्रेस करने हेतु छोड़ दिया गया, इससे विभागों के बीच हितों का आपसी टकराव पैदा हो गया और राज्यों की जिम्मेदारी के लिए अस्पष्टता की पूरी गुंजाईश छोड़ दी। इस प्रक्रिया में, बच्चों को भुला दिया गया। इसतरह खनन के बच्चों पर प्रभाव के कुछ तकनीकी रूप से क़ानूनी निवारण तंत्र है कई लोगों को जाँच में लाने के लिए।
4. खनन और उत्खनन, बाल श्रम लगभग सभी जगह है, बाल श्रम का सबसे ख़राब रूप है– खतरों की सीमा और गम्भीरता और मौत, चोट और बीमारियों के खतरे । गरीबी बच्चों को इस क्षेत्र में काम करने के लिए लाती है – यह कोई तर्क नहीं है। यह सचमुच पीठ तोड़ देने वाला काम है। यह अपेक्षाकृत आसान है कि सरकार कानून बनाकर खनन को उसमें शामिल करे और उत्खनन गतिविधियों को क़ानूनी–दायरे में लाये, राष्ट्रीय खतरनाक बाल–श्रम की सूची बनाकर बच्चों के लिए इन कामों को करना निषिद्ध किया जाये।

vyx vyx dkuu e me Hkh vyx vyx crk;h xb g %

| | |
|---|---|
| भारतीय वयस्क कानून, 1875 | 18 साल |
| किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 और 2006 का संशोधन | 18 साल |
| बाल विवाह निषेध अधिनियम | 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लडकों के लिए |
| खान अधिनियम, 1952 | 18 साल |
| कारखाना अधिनियम, 1948 | 15 साल |
| बाल श्रम (रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन) अधिनियम, 1986 | 14 साल |
| बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 | 6–14 साल |

खनन का विरोध इस तथ्य में है कि वे खनन इलाकों में रह रहे हैं पर न तो खनन उद्योग और न ही खनन प्रशासन कानूनी रूप से इन बच्चों के अधिकारों और विकास की जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खान मंत्रालय का सैद्धांतिक काम खान को देखना है न कि बच्चों की जरूरतों पर गौर करना।

1. Dhaatri Resource Centre for Women and children- Samata, Vishakhapatnam, HAQ: Centre for Child rights, New Delhi, 2010 India's Childhood in the "Pits"- A report on the Impacts of Mining on Children in India
2. Ibid.
3. Eliminating Child Labour in Mining and Quarrying, Background Document, *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), 12 June 2005, accessed on September 10, 2012*

# मुख्य रणनीतियां

पिछले तीन सालों से हक और समता, टीडीएच–जर्मनी के सहयोग से जन सुनवाइयों, प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के जरिये जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि और ज्यादा हितधारकों को इस चर्चा और बहस में लाना।

1- cPpk vkj [kuu ij tu lqukbZ& झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छह जन सुनवाइयां आयोजित की गई जिसके साक्षी बच्चे, माता–पिता और बच्चों के साथ काम करने वाले रहे। इससे स्पष्ट रूप से यही निकलकर आया कि कार्यकर्ताओं और सरकार दोनों के ही बीच खनन इलाके के बच्चों के हालातों पर जनसराहना का पूरा गेप/अन्तराल है।

2- cPpk vkj [kuu ij lkeqnkf;d lUnHkZ ekxZnf'kZdk & खनन इलाकों के बच्चे और उनके अधिकारों पर एक सामुदायिक सन्दर्भ मार्गदर्शिका तैयार की गई जिससे "खनन इलाके के बच्चे" जो परेशानियाँ झेल रहे हैं, उन्हें पहचानने और एड्रेस करने में मदद मिलेगी साथ ही देश के मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल करके बच्चों के अधिकारों को कायम रखा जा सकेगा।

3- çeq[k fgrèkkjdk dh {kerk fuekZ.k & खनन इलाकों के आस–पास रहने रहने वाले बच्चों के मुद्दे और और वे मौजूदा कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों से कैसे एड्रेस किये जाते हैं, पर समुदाय आधारित संगठनों, सामुदायिक सदस्यों, वकीलों, एकेडमिक लोगों की क्षमता निर्माण।

4- [kuu bykdk d cPpk d gkykr ij {k=h;@QhYM vè;;u

5- lcfèkr lkl nk] ljdkjh vfèkdkfj;k] ehfM;k vkj çklfxd lxBuk dk vkil e tkMuk

# gekjh ekxs

1- [kuu dkuuks esa cPpks dks 'kkfey fd;k tk;s

प्रभावित व्यक्ति के रूप में बच्चों को देश के कानून और कार्यक्रम के मुताबिक सभी क़ानूनी अधिकारों और मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे को 6–8 साल के आय समूह के लिए बनाई गई बचपन की देखभाल इंटरवेंशन का लाभ मिलना चाहिए और वह एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), क्रेच के लिए भी हकदार/ दावेदार है।

खनन के नकारात्मक प्रभाव को देखें तो पाएंगे कि बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होने के खतरे बढ़ रहे हैं, ऐसे में किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम को लागू करने की और बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किये जाने की जरुरत है।

2- [kuu dkuuks esa cky Je dks ,Mhl djuk

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 कुछ निश्चित रोजगारों में बच्चों से काम कराना निषेध करता है और कुछ निश्चित रोजगार में बच्चों के काम करने की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। 1986 से जब से यह अधिनियम पारित हुआ है तभी से इसमें कई दफा रोजगार के खतरनाक रूपों की सूची जोड़ी गयी, लेकिन खनन और कोयला खदानों को मूल सूची में ही शामिल किया गया था। इसके अलावा, 1950 मे तैयार भारतीय संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 24 में कहा गया कि : "14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने या खनन या किसी खतरनाक रोजगार में काम नहीं करेगा।" इसके बावजूद संविधान के प्रभावी हुए 60 साल बीत गए हैं, पर हजारों बच्चे खानों में और कोयला खदानों में काम कर रहे हैं।

खान अधिनियम 1952, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के खान में काम करने पर रोक लगाता है, यह निर्धारित करता है कि भूमिगत काम करने वाले श्रमिक को 16 साल की उम्र पूरी करना जरुरी है। 1983 में जब खान अधिनियम में संशोधन किया गया था, खान (संशोधन ) अधिनियम के सेक्शन 40 में बताया कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति खान के किसी भी हिस्से में काम नहीं कर सकता या सेक्शन 45 में किसी भी ओपरेशन से जुडे या कोई आकस्मिक खनन ऑपरेशन किया जा रहा हो। हालाँकि खान में बच्चों के काम करने पर पाबन्दी है, खान अधिनियम शोषण के अवसर का रास्ता खोलता है, साथ ही सोलह साल तक के बच्चों को अप्रेंटिस और प्रशिक्षु बनाने की इजाजत देता है। यह अधिनियम निरीक्षक के विवेक पर छोड़ देता है कि वह तय करे कि कौन अप्रेंटिसध्प्रशिक्षु है और काम करने लायक है (सेक्शन 43.1)।

3- [kuu bykdks ds cPpks vkSj efgykvks ds eq|ks dks ,Mhl djus ds fy, [kku lfpo }kjk 2011 esa cukbZ xbZ vUr%e=ky;h lfefr dh fQj ls 'k#vkr vkSj iqu#)kj fd;k tk;sA

4- ljdkjh dk;Øeks vkSj ;kstuk esa [kuu bykdks esa jgus okys cPpks dh igqp dks çkFkfedrk nh tk;s

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीसी) के कार्यान्वयन में खनन इलाकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5- foHkkxks vkSj e=ky;ks dk vUr%feyki

खान मंत्रालय को चाहिए कि वह लाइन के अन्य अभी विभागों और मंत्रालयों (सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण) के साथ मिलकर काम करे।

6- cky lqj{k.k ds iekuks ds dk;kZUo;u dh 0;oLFkk esa tehu dk iêk yus okys@lkoZtfud {ks= ds miØe ¼ih,l;½ @ futh dEifu;ks dks j[kk tkuk pkfg,A

## gekj ckj e

lerk] भारत में आंध्रप्रदेश राज्य के लोकजातीय "आदिवासी" के अधिकारों के लिए और पूर्वी घाट (पहाड़ियों) के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी के बचाव के लिए काम करने वाला सामाजिक न्याय का एक संगठन है। समता ने जनजातीय और ग्रामीण युवा समूहों के बाहरी लोगों और सरकार द्वारा हो रहे शोषण के प्रति संगठित किया। यह शुरुआत 1987 में एक छोटे जनजातीय गांव से हुई। 1990 में समता एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हुआ। समता अनसुनी आवाजों की पैरवी करता है, सरकार को अपने वादों के प्रति उत्तरदायी बनाये रखने, अल्पसंख्यको को अपने अधिकार पाने और उन पर जोर देने के काबिल बनाना, पर्यावरण की हानि को बचाने के लिए और वंचित लोगों के मानवीय विकास हेतु सहायता कर स्थायी विकास पर बल देने का काम समता करता है।समता मानता है कि अहिंसा का पालन करने से, सामुदायिक सशक्तिकरण और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का पालन करने से ही सही तरीके से हमारे मिशन को प्राप्त किया जा सकता है।

gd % cky vfèkdkj dæ] दिल्ली आधारित है। अक्तूबर 1998 से हक ने काम करना शुरू किया था और जून 1999 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीयन हुआ। हमारे समाज के अभिनेता, आज के नागरिक और कल के व्यस्क के रूप में हक पूरी तरह से बच्चों पर केन्द्रित है। एकीकृत तरीके से बच्चों के सभी अधिकारों को मान्यता देने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने का का प्रयास हक करता है, सभी श्रेणी के बच्चों विशेष रूप से जेंडर, जाति, वर्ग,नस्ल, क्षमता, स्थान और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों से वंचित के बीच क्रॉस कटिंग संबंध बनाता है। हक अपने दो कार्यक्रमों के जरिये काम करता है– बच्चे और शासन और बाल संरक्षण।यह बच्चों के लिए और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर सन्दर्भ और समर्थन के आधार पर सूचनाये प्रदान कर, रेफरल सेवा, कानूनी मदद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का काम करता है।


**HAQ: Centre for Child Rights**
B-1/2 Malviya Nagar
New Delhi-110017

**Samata**
Dabbanda Village, Gandigundam Post,
Mamidilova Panchayat, Anandapuram
Mandal, Visakhapatnam,
Andhra Pradesh-531173